रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222154
CG-DL-E-30092020-222154

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942
No. 491] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 601(अ).—केन्द्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का नंबर 38) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि,-

(i) 30 दिसम्बर, 2020 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी, जिसके दौरान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), (धारा 30, 30क, 41, 41क, 46 और 47 के सिवाय), सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय V में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा ऐसी कार्यवाही के, जो उक्त धारा के खंड (क) या (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट है, पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए है; और

(ii) 31 दिसम्बर, 2020 ऐसी अंतिम तारीख होगी, जिसके लिए ऐसी कार्यवाही को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए समय-सीमा को विस्तारित किया जाएगा।

[फा. सं. 450/61/ 2020-सीमाशुल्क IV (पार्ट-1)]

केविन बोबन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

G.S.R. 601(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of The Taxation and Other Laws (Relaxation and amendment of Certain Provisions) Act, 2020 (No. 38 of 2020), the Central Government hereby specifies that, -

(i) the 30th day of December, 2020 shall be the end date of the period during which the time limit specified in, or prescribed or notified under, the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (except sections 30, 30A, 41, 41A, 46 and 47), the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) or Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) falls for the completion or compliance of such action as specified under clause (a) or (b) of the said section; and

(ii) the 31st day of December, 2020 shall be the end date to which the time limit for completion or compliance of such action shall stand extended.

[F. No. 450/61/2020-Cus.IV(Part-1)]

KEVIN BOBAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA